

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000282010

दांडिक प्रकरण क.-225 / 10

संस्थापित दिनांक-25.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-सतीश पुत्र धर्मलाल जाति लोधी उम्र 20 साल निवासी गोरा सेहराई। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री मिर्जा अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 10.08.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196, 3 / 181 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अशोक कुमार पालन ने दिनांक 18.06.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह चौहान साहब की मोटरसाईकिल नंबर एमपी 07 एल 9755 से चंदेरी से बामौरकला जा रहा था, माधौसिंह चौहान उसके पीछे मोटरसाईकिल पर बैठे थे। जैसे ही वे सिंहपुर पाडरी के बीच पहुंचे कि सामने से मारुति स्टीम क्रमांक डीएल 3सी-ई 2898 का चालक सतीश लोधी गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चालित करता हुआ लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसे चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 200/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 18.06.2010 को सुबह 10 बजे ग्राम सिंहपुर पाडरी रोड के बीच वाहन क्रमांक डी एल 3 सी-ई 2898 मारुति स्टीम को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया और प्रार्थी अशोक को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अशोक कुमार, अ.सा. 02

माधौसिंह, अ.सा. 03 डॉ एम एल खरका, अ.सा. 04 मुलायम सिंह, अ.सा. 05 प्रेमनारायण, अ.सा. 06 सरदार सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 अशोक कुमार ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसाईकिल से चंदेरी से खनियाधाना जा रहा था तब पाडरी तिराहे पर आरोपी सामने से कार लेकर आया और उसके सामने गाडी मोड दी, जिससे उसकी गाडी टच हुई और वह गिर गया जिससे उसे हाथ में चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। उक्त दोनों दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उक्त साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने अपने पुलिस कथन एवं रिपोर्ट में यह बता दिया था कि आरोपी तेजी एवं लापरवाही से गाडी चला रहा था। अ.सा. 02 माधौ सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी ने अपनी कार सामने से टकरा दी थी जिससे वे लोग गिर गए थे और उन्हें चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार गाडी अचानक आ गई थी और वे लोग देख नहीं पाए थे। अ.सा. 01 ने अपने कथन में बताया है कि उसने आरोपी को सामने से कांच से देख लिया था और वे लोग आरोपी को पकडकर थाने ले गए थे। अ.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि घटना पाडरी तिराहे पर हुई थी तथा आरोपी की गाडी स्पीड में चल रही थी।

08— अ.सा. 04 मुलायम सिंह पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि वह फरियादी एवं आरोपी दोनों को नहीं जानता। उक्त साक्षी ने उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी होने से इंकार किया है। अ.सा. 06 सरदार सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसने प्रकरण में मैकेनिकल जांच की है जिसकी रिपोर्ट प्रपी 07 है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में कार की मैकेनिकल जांच की थी जिसमें वाहन में कोई कमी नहीं पाई गई थी। अ.सा. 03 डॉ एम एल खरका द्वारा अपने कथन

में बताया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 18.06.10 को आहत अशोक कुमार का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 04 है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत को चार चोटें आई थीं।

09— अ.सा. 05 प्रेमनारायण ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया गया था तथा प्रपी 05 के अनुसार कार जप्त की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। इस प्रकार प्रकरण में अ.सा. 05 मामले का विवेचक है जिसके द्वारा प्रकरण में जप्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही की जाना प्रकट हो रहा है और साथ ही नक्शामौका भी बनाया जाना प्रकट हो रहा है। नक्शामौका प्रपी 02 की कार्यवाही को फरियादी द्वारा अपने कथनों में प्रमाणित किया गया है। फरियादी के कथनों से यह स्पष्ट है कि उसने प्रकरण में रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 03 जो कि एक मेडिकल विशेषज्ञ हैं उनकी उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत अशोक कुमार के शरीर पर चोटें आई थीं। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट करना है कि उक्त चोटें आहत को आरोपी द्वारा गाड़ी से टक्कर मारकर गिराने से आई थीं।

10— अ.सा. 01 ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चालित किया गया तथा उन्हें टक्कर मारी गई जिस कारण से वह अपनी मोटरसाईकिल से गिर गया और उन्हें चोटें आईं। फरियादी ने अपने कथनों में आरोपी को पहचाना है तथा आरोपी की पहचान के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। फरियादी की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 ने भी अपने कथनों से किया है। अ.सा. 02 ने भी अपने कथनों में बताया है कि आरोपी द्वारा तेज गति से वाहन को चालित किया गया था तथा उन्हें टक्कर मारी गई थी, जिस कारण वे मोटरसाईकिल से गिर गए थे और उन्हें उपहति कारित हुई थी। इस प्रकार प्रकरण में न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 01, बल्कि नक्शामौका प्रपी 02 की कार्यवाही भी

प्रमाणित हो रही है।

11— उल्लेखनीय है कि फरियादी अ.सा. 01 तथा अ.सा. 02 के कथन अखंडनीय रहे हैं एवं उक्त कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। फरियादी के कथनों की संपुष्टि अभिलेख पर आई हुई मेडिकल साक्ष्य से भी हो रही है। आरोपी की ओर से प्रकरण में ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया एवं फरियादी को टक्कर मारकर उपहति कारित की गई। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 279, 337 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:—

13. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्जा का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपी द्वारा टक्कर

मारने के कारण फरियादी को चोटें भी आई हैं। इस प्रकार आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा सार्वजनिक लोकमार्ग पर वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया जाता है तथा यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 279 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 3 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 337 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 3 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मारुति स्टीम नंबर डीएल 3 सीई 2898 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में

माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

17. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)